अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ द्वारा "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था "हर घर हर ग्रहणी योजना". इस कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य विभाग की डॉ डिंपल व श्रीमती पूजा के द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ प्रीति चावला एसोसिएट प्रोफेसर (द नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम) से जुड़ी थी। मुख्य वक्ता ने कार्यशाला की थीम पर आधारित प्रश्न पूछ कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता ने बताया की उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण है। मुख्य वक्ता ने बताया कि सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है की वस्तु सही प्रकार से मैन्युफैक्चर की गई है या नहीं। वस्तु को बनाने में सही चीजों का प्रयोग किया गया या नहीं। आपको इसके गारंटी और गुणवत्ता चिन्ह और प्रमाण पत्र सहित उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में पूछने का अधिकार है। उन्होंने 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है इस विषय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने 2025 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम पर भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने बताया कि भारत में कौन-कौन से एक्ट है जिसके द्वारा उपभोक्ता अधिकार विषय को अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न उदाहरण देकर इस विषय पर रोशनी डाली। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया की राइट टू एजुकेशन के साथ-साथ राइट टू सर्विस एक्ट; एमआरपी; एक्सपायरी डेट आदि अनेक विषय ऐसे हैं जिनके बारे में हर एक उपभोक्ता को पता होना चाहिए। उन्होंने उत्पाद की मात्रा, शुद्धता, माल की कीमत और मानक जैसे अनेक गुणवत्ता संबंधित विषय पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। डॉ डिंपल (वाणिज्य विभाग) ने धन्यवाद ज्ञापन द्वारा इस कार्यशाला का समापन किया। प्राचार्य जी ने सभी सदस्य गण को कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी।